हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/06/24 पत्रावली पेश। पूर्व में तहसीलदार, जोधपुर स्वयं उप.। अतः तलबी पूर्ण मानी जाती है। चूंकि अप्रार्थी सं. 01 प्रफॉर्मा पक्षकार है, अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से पूर्व में जवाब पेश है। प्रा. पत्र विगत 08 वर्षों से लंबित है, जो न्यायसंगत नहीं है। साथ ही प्रा. पत्र में सरकार के विरुद्ध स्थगन है, जिसका शीघ्र निस्तारण राजहित में अत्यावश्यक है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/06/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
19/6/24 पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में अन्य कोई न्यायी कार्यवाही नहीं होने के कारण इस्तगा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/6/24 को पेश हो।	
24/06/24 पत्रावली पेश। अधि. अप्रार्थी उप.। एकपक्षीय बहस सुनी गई। मुताबिक प्रा. पत्र - " ग्राम मेघवालों का बास में ख. सं. 235 में प्रार्थी निवास कर रहा है। दिनांक 22/05/06 को नायब तहसीलदार द्वारा तैयार गै. मु. गोचर भूमि पर आवासित लोगों की सूची में क्र. सं. 08 पर वादी का नाम है। दिनांक 20/10/06 के श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश द्वारा भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अंतर्गत set apart किया गया। कालांतर में दिनांक 20/06/14 के श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश द्वारा ख. सं. 219/1, ख. सं. 235/11 की 08 बीघा जमीन जो. वि. प्रा. के नाम दर्ज की गई। जो. वि. प्रा. के Notice दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	03/08/15 द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का आदेश दिया गया है अतः अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जावे कि वे "प्रार्थी के कब्जे में बाधा उत्पन्न ना करें।"
	मुताबिक जवाब अप्रार्थी सं-02- "श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश की पालना में ख. सं. 219/1, 235/1 का कब्जा जो वि. प्रा. को सुपुर्द किया गया, जो मौके पर खाली थी। प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर जेडीए की धारा 67 के तहत notice दिया गया। प्रार्थी द्वारा ख. सं. 235 में 10x6 वर्ग गज, ख. सं. 219 में 10x10 वर्ग गज पर अतिक्रमण किया गया है, जो दण्डनीय है। प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। वाद भी म्याद बाहर है अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- "चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। विवादित भूमि की किस्म गै. मु. गोचर है। अतः प्रथमं दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है प्रार्थी का प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो।
	Priti का सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ... जोधपुर सत्यमेव जयते